International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(I), April - June, 2024, pp. 61-66

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति पर प्रभाव का टोंक जिले के सन्दर्भ में अध्ययन

डॉ. (श्रीमती) किरण सिडाना*
श्रीमती गिरिश्रृगां**

सार

6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे विशेषकर कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागु हुए काफी समय हो गया है, किन्तु अब तक देश के कमजोर वर्ग के करोड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी है। इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बालकों को निजी शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना आवश्यक है एवं यह जानने का प्रयास किया जाना आवश्यक है कि अभिभावकों को इसके प्रति अभिवृत्ति का प्रभाव क्या हैं। अतः निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन मुख्य उद्देश्य को लेते हुए प्रस्तुत शोध कार्य किया गया। जिसमें स्वनिर्मित अभिभावक अभिवृत्ति मापनी का उपयोंग कर 36 विद्यालयों के 144 अभिभावकों से ऑकडों का संकलन किया गया।निष्कर्ष में पाया गया कि टोंक जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों की कुल अभिवृत्ति एवं समस्त आयामों यथा : शिक्षा का अधिकार कानून से सम्बन्धित सूचना एवं जानकारी के प्रति अभिवृत्ति, विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक सहभागिता/विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति अभिवृत्ति एवं शिक्षकों के व्यवहार के प्रति अभिवृत्ति' के प्राप्तांकों का मान औसत स्तर से अधिक है।

शब्दकोशः *निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, अभिभावक, अभिवृत्ति।*

प्रस्तावना

6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे विशेषकर कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क एव ं अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला शिक्षा का अधिकार काननू 2009 को लागु हुए काफी समय हो गया है, अब तक देश के कमजोर वर्ग के करोड़ों बच्चों को गरीबी की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी लेकिन इस कानून के लागू हो जाने के बाद ऐसी आशा की जा सकती है की अब प्रत्येक बच्चे को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो जायेगी। गोपालकृषण गोखले ने सबसे पहले 19 मार्च 1910 को केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबध में एक प्रस्ताव पेश किया था। सोलह मार्च 1911 में गोखले ने इस प्रस्ताव को कन्द्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में पेश किया। प. मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्नाह भी उस समय इस केन्द्रीय धारा साभा के सदस्य थे। उन्होंने गोखले द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन किया, परन्तु भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों ने सरकार के पक्ष में मत दिया। और यह विधेयक 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों से गिर गया। अतः गोखले द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक केन्द्रीय धारा सभा में पास नहीं हो सका, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक से ब्रिटिश सरकार में खलबली अवश्य मच गयी थी।

* शोध निर्देशिका, श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा, राजस्थान।
** शोधार्थी, श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा, राजस्थान।

राष्ट्रपति महात्मा गाँधी भी देश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के समर्थक थे नवजीवन पत्र में लिखे गए एक लेख में गाधी जी ने कहा था की मै भातर के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत का द्रढ़ समर्थक हूँ। उनके अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बच्चों को दी जाने वाले वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक विकास हो सके।

1937 में महात्मा गाधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिलकर नईं तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। आज इसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और बेसिक एजुकेशन आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 7–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवथा की गयी थी। और इस बात पर बल दिया गया था की सम्पूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्धयोग पर आधारित हो।

1966 में कोठारी आयोग ने बच्चों के लिए सामान शिक्षा की शिफारिश की थी। 1986 की शिक्षा निति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलनें की बात की गयी थी, साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने हेतु ओपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गयी थी।

भारत में बाल शिक्षा के क्षेत्र में नई अवधारणाओं का जन्म 1992–93 में तब हुआ। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किये। इस चार्टर का हस्ताक्षारकर्ता देश होने के कारण भारत को बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करना आवश्यक हो गया। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन बनाम आद्रं प्रदेश के मामले में कहा गया की शिक्षा का अधिकार सविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग है। 1993 के फैसले के बाद 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया।

प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्त्तव्य बना दिया गया है। अतः अब अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी की वे बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें।

हर बच्चे के लिए घर से विद्यालय तक की नियत दूरी 1 कि.मी. दूरी के दायरे में ही विद्यालयों की व्यवस्था करानी होगी। सभी निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी, तथा इसे मजबूती से लागू किया जाए। निजी विद्यालयों में बच्चों से किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं ली जायेगी, व् बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी प्रतिबन्ध होगा। बच्चों को ना तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जाएगा न ही विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगें अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश तथा उन्हें मार्गदर्शन भी देगा। प्रत्येक 40 बच्चों को पढाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। विकलांग, मंदबुद्धि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षक शिक्षण कार्यों के अलावा अन्य कार्यो में लगा दिए जाते है। शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना, चुनाव कार्य एवं आपदा रहत के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगायी जायेगी। शिक्षा का अधिकार काननू 2009 को लागू करने में जो भी खर्च आएगा उसे केन्द्र 65 प्रतिशत व राज्य 35 प्रतिशत मिलकर वहन करेगें।

लगभग 10 वर्षों के एक लम्बे अंतराल व जद्दोजहद के बाद आखिरकार शिक्षा का अधिकार कानून 2009 सरकार के सूचना (छवजपपिबंजपवदद्ध के बाद 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत वर्ष (जम्मू–कश्मीर अपवाद) में लागू हो गया। जिसके तहत भारत का प्रत्येक बच्चा जिसकी आयु 6–14 वर्ष के बीच है, उसे मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आज यह अधिकार वास्तव में पिछले सवा–सौ साल पहले शुरू हुए आदोलन का एक फल है। आजादी की लड़ाई के दौरान मैकॉले की शिक्षा प्रणाली को खत्म करके देश की जनता की जरूरतों के अनुरूप एक नई प्रणाली खड़ी करने का सपना देखा गया था। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में नई

तालिम की क्रांतिकारी कल्पना भी पेश की गई लेकिन आजाद भारत के शासक वर्ष को यह मंजूर नहीं था और उसने मैकॉले की शिक्षा प्रणाली को न केवल जारी रखा तथा आर्थिक और राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लागू किया। क्योंकि 1947 से 1968 में राज्य द्वारा पोषित पूंजीवाद का निश्चित चरण रहा जिसने सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र पर हावी था। इसी बीच बदलते समय और परिस्थितियों ने 1968–1991 के मध्य राज्य समर्थित पूँजीवाद ने सकंट कालीन चरण को जन्म दिया। जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संतुलन बदला।

इसके बाद जो नई आर्थिक नीति लागू की गई उस कारण विगत 20 वर्षों अर्थात् 1991 से 2009 के बीच राज्य द्वारा समर्थित पूंजीवाद का नव उदारवादी चरण जिसमें निजी क्षेत्र वैश्विक बाजार के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र पर हावी हुआ है। ऐसा नहीं है कि गाँधी से पहले मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रयास नहीं हुए, 1885 में महात्मा ज्योतिराव फूले, 1911 में इम्पीरियल असेम्बली में गोपाल कृष्ण गोखले व डॉ. अम्बेडकर द्वारा देखा गया मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का सपना शायद सच हो गया है। लगता तो ऐसा ही है, परन्तु यह शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस हद तक जनता के सपनों को पूरा करता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार कानून कई मायनों में विरोधाभासों, अस्पष्टताओं व चुनौतियों से भरा हुआ है परन्तु किस सीमा तक यही देखना इस कार्य का सम्यक उद्देश्य होगा कि भारत के संविधान में इस विषय को लेकर क्या प्रावधान और अव्यवस्थाएँ है। और यह कानून किस प्रकार उनसे विरोधाभासी है। इससे इसके क्रियान्वयन एवं प्रभाव में भी इजाफा हो सकेगा, जिसके साथ ही इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन में सहायता मिल सकेगी। तथा वे बच्चे जो अभी भी विद्यालयों की ड्योडी से दूर हैं को भी विद्यालयों तक लाने में सहायता मिल सकेगी।

इस अधिकार को लागू करने में 5 वर्षो का समय सुनिश्चित किया गया है तथा इस समय अंतराल में इस शिक्षा के अधिकार को विद्यालयों में लागू करना है, ताकि इसका लाभ बच्चों को गुणात्मक रूप से मिल सके इस शोधकार्य के अंतर्गत इसके रास्ते में आने वाली समस्याओं को देखा जाएगा और शोध के माध्यम से इन समस्याओं को उजागर कर आगे लाया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जायेगा की शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन एवं प्रभाव सरकारी विद्यालयों में किस हद तक हुआ है? यदि थोड़े भाब्दों में कहें तो शोधार्थी ने शोध के माध्यम से शिक्षा का अधिकार 2009 के निजी विद्यालयों में क्रियान्वयन और साथ ही इसके समकक्ष आने वाली समस्याओं को देखा जायेगा। ताकि इसके निति निर्माताओं को इसके आगे के क्रियान्वयन एवं निति निर्माण में सहायता मिल सके। इससे स्थानीय प्राधिकारियों को भी इसके रास्ते में आने वाली समस्याओं की जानकारी हो सके और इनके माध्यम से इसकी जानकारी इसके निति निर्माताओं तक पहुँच सके। इस प्रकार शोधार्थी के मन में यह प्रश्न उठे कि

- शिक्षा के अधिकार अधिकार के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का क्या स्तर है?
- महिला एवं पुरूष अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार अधिकार के प्रति अभिवृत्ति में क्या अन्तर हैं?
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार अधिकार के प्रति अभिवृत्ति में क्या अन्तर हैं?

यह जानने की शोधार्थी के मन में सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई।

उक्त प्रश्नों के समाधान हेतु शोधकर्ता ने ''**निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन**'' विषय पर शोध करने का निर्णय लिया।

अध्ययन की आवश्यकता

शिक्षा बालकों का मूल अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना स्वतंत्र भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसे राज्य द्वारा परिवार और समुदायों की सहायता से किया जाएगा।[1]

20 जुलाई 2009 को राज्य सभा ने ''राइट टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्यूकेशन बिल'' को पास कर दिया तथा 1 अप्रेल 2010 से भारत में इसे अनिवार्य रुप से लागू कर दिया गया।

किसी भी देश में अच्छी शिक्षा के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग आज भी शिक्षा प्राप्ति को अधिक महत्व नहीं देते हैं। ऐसे में धनिक वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा में अग्रणी रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ''बालको का निःशुल्क निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 बनाया गया है इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बालकों को निजी शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना आवश्यक है इसलिए इस अधिनियम के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, इसके मार्ग में आने वाली समस्याओं तथा वास्तविक स्थिति की जाँच हेतु आवश्यक है कि इस पर शोध किया जावे। जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं की वस्तुस्थिति ज्ञात हो सके और वंचित वर्ग के बालकों को अपेक्षित लाभ मिल सके। कोई भी योजना तब तक कारगर नहीं होती जब तक उससे लाभान्वित वर्ग को उसकी जानकारी न हों,उसके प्रति अभिवृत्ति न हों। अतः प्रस्तुत शोध की आवश्यकता को देखते हुए '' **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन**'' विषय का चयन किया गया।

इस अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष निकलेंगे वे निश्चय ही शिक्षा जगत को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तथा आज के इस समय में इस शीर्षक पर शोध का औचित्य है। यह शोध देश, शिक्षा जगत, अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करेगा, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता ने इस प्रकरण को चयनित किया।

समस्या कथन

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों में अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- महिला एवं पुरूष अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार अधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार अधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

अनुमान के आधार शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं –

- अभिभावकों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून की जानकारी नहीं होने से उनमें अभिवृत्ति की कमी है।
- महिला एवं पुरूष अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार अधिकार के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं हैं।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार अधिकार के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या

प्रस्तुत अध्ययन के शीर्षक के अन्तर्गत मुख्यत निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त हुए हैं :–

शिक्षा का अधिकार

6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।

सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएँगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। इसके लिए बच्चे या उनके अभिभावकों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष फीस (स्कूल फीस) या अप्रत्यक्ष मूल्य (यूनीफॉर्म, पाठय–पुस्तकें, मध्यान भोजन, परिवहन) नहीं लिया जाएगा। सरकार बच्चे को निःशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध करवाएगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।[2]

अभिभावक

शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्याय में अभिभावक से आशय अभिभूत करने वाले, रक्षा एवं देखभाल करने वाले तथा संरक्षक से लिया है। भारतीय सभ्यता में अभिभावक का एक विशिष्ठ स्थान है, उन्हें गुरू एवं भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है।

अभिवृत्ति

अभिवृत्ति से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है, जो किसी घटना, प्राणी, विचार या वस्तु के प्रति हमारे व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अभिवृत्तियां नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, उससे निराश हैं, उसने हमें हानि पहुंचाई है, या किसी धर्म में हमारा विश्वास नहीं है तो उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक होगी।

शोध अध्ययन की परिसीमाएं

किसी भी समस्या के गहन एवं वैज्ञानिक अध्ययन व शोध को उपभोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका परिसीमन किया जाये इससे शोध प्रक्रिया में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा शोध को वैध एवं विश्वसनीय बनाने एवं इससे उपयोगी परिणामों व निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए इसका परिसीमन किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत शोध को टोंक जिले के 36 विद्यालयों तक ही सीमित रखा गया है। प्रस्तुत शोध में टोंक जिले के 18 निजी विद्यालय ग्रामीण अंचल से तथा 18 निजी विद्यालय शहरी अंचल से चयनित किये गये तथा इन विद्यालयों में अध्ययनरत आर.टी. ई. के विद्यार्थियों के 144 अभिभावकों को न्यादर्श के लिए चुना गया।

शोध प्रविधि

वर्तमान शोध में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया है। सर्वेक्षण विधि का सम्बन्ध वर्तमान से होता है तथा इसके अन्तर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए प्रतिदर्श समष्टि के विभिन्न स्तरों से चुना जाना था, जैसे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालयों के अभिभावक। इन सदस्यों में बहुत अधिक भिन्नता होती है ऐसी परिस्थितियों में यादृच्छिक विधि को ही चुना गया। प्रस्तुत शोध में टोंक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 36 निजी विद्यालयों को लिया गया। प्रत्येक क्षेत्र से क्रमशः 18–18 निजी विद्यालयों को चुना गया। प्रत्येक विद्यालय से 4 अभिभावकों को जिनके बच्चों का इस अधिनियम के तहत चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 144 अभिभावक ही सौद्देश्य यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से चुने गये।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में दत्त संकलन प्रक्रिया को अभिभावकों हेतु **''स्वनिर्मित प्रश्नावली''** द्वारा पूर्ण किया गया।

सांख्यिकी

शोधकर्ता ने वर्तमान शोध कार्य के लिए न्यादर्श से ऑकड़े एकत्रित किये, इन ऑकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए कुछ आधारभूत सांख्यिकीय गणनाओं मध्यमान,मानक विचलन एवं टी–मान का उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

- टोंक जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिभावकों की कुल अभिवृत्ति एवं समस्त आयामों यथा : शिक्षा का अधिकार कानून से सम्बन्धित सूचना एवं जानकारी के प्रति अभिवृत्ति, विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक सहभागिता/विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति अभिवृत्ति एवं शिक्षकों के व्यवहार के प्रति अभिवृत्ति' के प्राप्तांकों का मान औसत स्तर से अधिक है।

- टोंक जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति अभिवृत्ति के आयाम आधारभूत भौतिक सुविधाओ के प्रति अभिवृत्ति पर महिला एवं पुरूष अभिभावकों के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर पाया गया जबकि कुल अभिवृत्ति एवं शेष आयामों पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
- टोंक जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रति कुल अभिवृत्ति पर राजकीय एवं निजी विद्यालयों के अभिभावकों के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर पाया गया जबकि शेष अभिवृत्ति के समस्त आयामों पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष के आधार पर निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार का सही क्रियान्वयन करने में कड़ी समस्याओं को देखा गया है। अतः इन समस्याओं का निवारण करके ही इस अधिकार को विद्यालयों में अच्छे से लागू किया जा सकता है। यहाँ इस शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए निजी विद्यालयों, सरकार एवं समाज तीनों को हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता की दृष्टि को हटाया जाए तथा उन्हें शिक्षा का महत्त्व बताया जाये।

आज भी देखा गया है की शिक्षा का अधिकार लागू होने के 8 साल बाद भी हम बच्चों को 1–3 की.मी. के दायरे में विद्यालय उपलब्ध नहीं कारवा पायें हैं, अतः बच्चों को घर से विद्यालयों की दूरी नियमों के अनुसार करनी होगी। निजी विद्यालयो में भी बच्चों को मिड डे मील की की व्यवस्था की जरूरत है। निजी विद्यालयों में कैपीटेशन शुल्क की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। वर्दी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था भी निःशुल्क कर देनी चाहिए। अतः यहाँ ऊपर दी गई समस्याओं का निवारण करके शिक्षा का अधिकार 2009 का प्रभावी क्रियान्वयन निजी विद्यालयों में किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री रविन्द्र (1994) : आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएं एवं समाधान राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी – जयपुर।
2. जेकब आर.डी. एण्ड रजाविद (1992) एन इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन एजूकेशन : हाल्ट राइन चार्ट एण्ड वेन्सटन इन्स, न्यूयार्क।
3. अग्रवाल, जे.सी. (2008), टीचर एजुकेशन : थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस, दोआब हाउस देहली।
4. अग्रवाल सुभाष एवं कंचन (2006) : मेकिंग टीचर एजू. ए. प्रोफेशन, कांफ्रेस सोविनियर, यूनि. ऑफ इलाहाबाद।
5. वर्मा, जे.के. (2013), ''शिक्षा का अधिकार'', राजा पॉकेट बुक्स, बुराड़ी, दिल्ली, (पेज नं0 7)
6. शिविरा पत्रिका, जुलाई 2010, अंक–1, भास्कर, ए. सावन्त द्वारा डिपार्टमेन्ट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर, पृ.सं. 15.

❖◆❖